तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9/3/26	पत्रावली पेश हुई। ... के वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/3/26 को वास्ते तामील (1-3) पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
23/3/26	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते तामील रजि डाक (1 से 3) आगामी दिनांक 30/3/26 को पेश हो।
30/3/2026	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 6/4/2026 को वास्ते तामील रजि. डाक (1 से 3) पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां
6/4/26	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली में आदेश जारी किए गए। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 214/2025 दायर तारीख 08.12.2025

अनवान

जमनालाल पुत्र बाबूलाल जाति भील उम्र बालिग पेशा खेती निवासी जलेरी हाल मुकाम आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....प्रार्थी

बनाम

1. ओमाबाई पुत्री पूरणमल जाति भील उम्र बालिग निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. रेखा पुत्री पूरणमल जाति भील उम्र बालिग निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. सुनीता देवी पत्नि संतराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी अरन्या तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)।
4. राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... विपक्षीगण

उपस्थित :– 01. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी।
02. पैरोकार सरकार।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 06/04/2026

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार धाकड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की शामलाती खाते की खातेदारी आराजीयात मौजा ग्राम फतहनगर पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया की सरहद मे वर्तमान खाता संख्या 37 पर अंकित आराजी संख्या 393 रकबा 2.8004 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 2–8004 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ वाली स्थित होकर भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज खाता चली आ रही है। जिसमे प्रार्थी का नाम भोज्या पुत्र बाला भील सा० जलेरी दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व मे प्रार्थी के पिता बाला (जिनको बालु भी कहा जाता था) के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रार्थी के पिता बाला का देहान्त हो जाने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1736 दिनांक 12/11/2010 को खोला गया। उक्त नामान्तरण खोलते वक्त राजस्व कर्मचारियो ने बिना कोई जांच किये, प्रार्थी को सुने बिना नामान्तरण खोल दिया जिसमे प्रार्थी का गांव मे बोलता नाम भोज्या पुत्र बाला अंकित कर दिया जो सर्वथा गलत हैं जबकि प्रार्थी का वास्तविक एंव दस्तावेज अनुसार सही नाम जमनालाल पुत्र बाबुलाल भील है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 07/08/2025 को उक्त खाते की नकल ली तो प्रार्थी को उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर कायम की गई प्रथम जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में प्रार्थी का नाम भोज्या पुत्र बाला भील

निरन्तर पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

आ रहा है। जिसे भोज्या पुत्र बाला के बजाय संशोधित कर सही रूप में जमनालाल पुत्र भील किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। प्रार्थी के पहचान सम्बंधी दस्तावेजो मे भी का नाम जमनालाल पुत्र बाबुलाल भील दर्ज है। पहचान सम्बंधी दस्तावेजो एंव राजस्व नामो की भिन्न्ता के कारण प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड़ता सरकारी सेवाओ का लाभ प्राप्त करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं एवं मे भी कई प्रकार का सामना करना पड़ेगा इस कारण प्रार्थी उक्त नाम मे संशोधन करा अनुसार सही नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकित कराना चाहता हैं, जो किया जाना काश्तकार हितो हेतु आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः निवेदन हैं कि मौजा ग्राम फतहनगर पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया की सरहद मे वर्तमान खाता संख्या 37 पर अंकित आराजी संख्या 393 रकबा 2.8004 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 2.8004 हैक्टेयर के राजस्व खाते मे प्रार्थी का नाम भोज्या पुत्र बाला भील के बजाय जमनालाल पुत्र बाबूलाल भील दर्ज करने का आदेश विपक्षी संख्या 4 के नाम फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हैं।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से मौका रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी रिपोर्ट/क्रमांक/राजस्व/2025/2063 दिनांक 24/12/2025 में अंकित किया कि भू.अ.नि. सलावटिया एवं पटवारी हल्का नयानगर की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा अनुसार ग्राम फतहनगर में वादी जमनालाल पुत्र बाबूलाल भील के नामशुद्धि के सम्बंध में जांच की गई। ग्राम फतहनगर की खाता संख्या 37 में वादी का नाम भोज्या पुत्र बाला भील दर्ज है एवं ग्राम आरोली की जमाबन्दी खाता संख्या 112 में वादी का नाम जमनालाल पुत्र बालू भील दर्ज है। प्रार्थी के परिवार के सदस्य माता कंवरी व बहिन प्रेम भील के नाम में भी क्रमशः पति व पिता का नाम बालू भील अंकित है। परिवार के सदस्य भैरू पिता पूरणमल व मौतविर कालू पिता लालूराम गुर्जर निवासी आरोली ने बताया की वर्तमान में वादी को गांव में जमनालाल पुत्र बालू के नाम से जाना जाता है। लेकिन ग्राम फतहनगर की जमाबन्दी में खाता संख्या 37 पर भोज्या पुत्र बाला भील के बजाय **भोज्या उर्फ जमनालाल पिता बालू** शुद्ध करने में कोई आपति नही हैं दोनों एक ही व्यक्ति है। वादपत्र अनुसार प्रार्थी जमनालाल पुत्र बाबूलाल दर्ज कराना चाहता है जो उचित नहीं है। वादी की माता व बहिन के नाम में क्रमशः पति व पिता बालू भील अंकित है। भोज्या उर्फ जमनालाल पिता बालू शुद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उक्तानुसार रिपोर्ट की प्रति, मौका पर्चा, जमाबन्दी नकल की प्रतियां संलग्न किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम फतहनगर प0ह0 नयानगर सम्वत् 2064 से 2067, नकल जमाबन्दी ग्राम फतहनगर प0ह0 नयानगर आ.सं. 393 सम्वत् 2076 से 2077, आधारकार्ड जमनालाल, जन आधारकार्ड की प्रतियां संलग्न की है।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी

निरन्तर पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 26 / 2025 (बिजौलियां) दायर तारीख 24.04.2025

वादपत्र संख्या (334 / 2010) (माण्डलगढ़) दायर तारीख (03.06.2010)

अनवान

1. विजयराम पुत्र भंवरलाल जाति गुजर उम्र 40 साल व्यवसाय खेती निवासी सलावटीया तहसील बिजोलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा।
2. ग्राम पंचायत सलावटीया मार्फत सरपंच ग्राम पंचायत सलावटीया पंचायत समिति मान्डलगढ / बिजौलियां तहसील बिजोलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादी।
2. पैरोकार सरकार / ग्राम पंचायत सलावटियां – प्रतिवादीगण।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 13 /04/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ वादपत्र **अर्न्तगत आदेश 7 नियम 1 व 3 जा0 दि0 धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की मौजा सलावटीया तहसील बिजौलियां स्थित बिलानाम राजकीय भूमि आराजी खसरा नंबर 218 मीन रकबा 4 बीघा जरिये आवंटन के गैर खातेदारी अधिकारी से आवंटन समिति द्वारा आवंटीत की गई व नियमानुसार कब्जा वादी को दिया जाकर खसरा परिशोषन में वादी का नाम वादग्रस्त जायदाद पर बहैसियत गैर खातेदार के दर्ज किय गया। आराजी खसरा नंबर 218 मी गत बन्दोबस्ती खसरा होकर वर्तमान में वादी के कब्जे मे आवंटन के पश्चात जो भूमि है उसका खसरा नम्बर 1283 / 516 रकबा 5 बीघा बीघा 15 बिस्वा हैं। जब वादी को भूमि का आवंटन किया गया तब आराजी खसरा नंबर 218 मीन बिलानाम काबिल काश्त भूमि थी किन्तु बन्दोबस्त में उक्त भूमि की किस्म बदली जाकर किस्म भूमि चरागाह दर्ज कर दी गई । प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश की प्रविष्ठी से जो उसके द्वारा पोषित राजस्व अभिलेखो में दर्ज थी उसकी अनदेखी की एवं भूमि को चरागाह दर्शाते हुये उसे प्रतिवादी नंबर 2 के खाते में वर्तमान में राजस्व अभिलेखो में दर्ज कर दिया। इस प्रकार की की गई अवैध एवं विधि विरूद्ध प्रविष्ठी का वादी स्वामित्व व कब्जे पर विपरीत प्रभाव नहीं है वादी आज भी उसकी कब्जे वाली भूमि पर जो उसे आवंटीत हुई है पर साधिकार काबिज चला आ रहा है यह तथ्य प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पोषित राजस्व अभिलखो से भी सिद्ध है। वादी की कब्जे एवं आवंटीत भूमि जो प्रतिवादी नंबर 2 की खातेदारी भूमि में विधि विरूद्ध एवं नियम विरूद्ध तरिको से दर्ज गई है वह समाप्त की जाकर वादी को आराजी खसरा नंबर 1283 / 516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि एवं न्याय संगत है । प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे वाली भूमि को राजस्व अभिलेखों में चरागाह रूप मे दर्ज होने मात्र से वादी के विरूद्ध कब्जा हटाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत अनुचित कार्यवाही की जा सकती हैं जब कि वादी को 1972 से जरिये काश्त के शान्ति पूर्वक एवं बिना किसी बाधा के प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज चला आ रहा है उसके निरन्तर कब्जे में परिपेक्ष मे न तो वादी को अतिक्रमी परिभाषीत किया जा सकता है न ही उसे किसी कानूनी व्यवस्था द्वारा हटाया जा सकता है प्रतिवादी के अधिकारों के विपरीत है। वादी अपने सुरक्षित कब्जे के लिये निषेधाज्ञा पाने का भी अधिकारी है। वादी ग्रामीण अशिक्षित एवं एक साधारण काश्तकार हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वह समझता रहा कि उसे आवंटन में प्राप्त भूमि की प्रविष्ठी राजस्व अभिलेखों में उसके पक्ष में हो इसलिये उसे कभी भी राजस्व अभिलेखो में देखने का काम नहीं पडा दिनांक 2–4–2010 को प्रकाश द्वारा वादी के वादग्रस्त जायदाद बाबत रेकार्ड मांगने पर बताया गया कि वादग्रस्त जायदाद खाते में दर्ज नहीं होकर प्रतिवादी नंबर 2 के खाते मे दर्ज है उसी दिनांक को प्रथम बार यह पता हुई की प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने राजस्व अभिलेखो को चूक कर अथवा जानकर वादी के नाम दर्ज होने में वंचित कर दिया। वादी को प्रथम बार विनाएं 2–4–2010 राजस्व रेकार्ड बाबत होने से बिनायदावा उत्पन्न हो सतत रूप से जारी है।

अतः वादी अनुतोष चाहता है कि विवादित जायदाद स्थित मौजा सलावटिया आराजी नंबर 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा से प्रतिवादी नंबर 2 की खातेदारी समाप्त की जाकर उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध, प्रतिवादीगण के सादिर किये जावे। विवादित जायदाद स्थित मौजा सलावटिया मे आराजी खसरा नंबर 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा में वादी को प्रतिवादीगण जबरन बेदखल नही करें उनके कब्जे काश्त में बाधा नहीं पहुंचाये राजस्थान भू–राजस्व अधिनियमो के तहत उसके विरूद्ध अनुचित कार्यवाही नहीं करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री प्रदान की जावें। अन्य अनुतोष उचित व्यय हो वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र तामील करवायी गयी। प्रतिवादीगण पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया कि – वादपत्र की चरण संख्या 1 से 7 अस्वीकार किया हैं। (वादग्रस्त भूमि चरागाह हैं। वादी अतिक्रमी है जिसको बेदखल किया जाना न्यायसंगत हैं।) वादपत्र की चरण संख्या 8 अस्वीकार किया हैं। वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी में कभी नहीं रही। वादपत्र की चरण संख्या 9 अस्वीकार किया हैं। वादपत्र की चरण संख्या 10 से 12 न्यायालय से सम्बन्धित हैं। वादपत्र की चरण संख्या 13 वादग्रस्त आराजी नंबर 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा ग्राम सलावटिया चरागाह भूमि हैं। वादी अतिक्रमी हैं। अतिक्रमी को बेदखल करना व भू–राजस्व अधि0 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही न्याय संगत हैं। अतिक्रमी को किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने का हक नहीं हैं। अतः वाद खारिज फरमाया जावें।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के साथ दस्तावेज सूची, नकल जमाबन्दी ग्राम सलावटिया संवत 2063 से 2066, खसरा गिरदावरी संवत 2063 से 2066, खसरा परिवर्तत निर्धारण संवत 2066, नक्शा ट्रेस सलावटियां, प्रमाणित प्रतिलिपी डिमाण्ड कायमी, खसरा परिशोधन, प्रमाणित प्रतिटाल बाछ, रंगा फोटो प्रति सलावटियां 1982–83, मिलान खसरा संवत 2028 प्रमाणित प्रति संलग्न की जो शामिल पत्रावली हैं।

पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया। साक्ष्य वादी में PW-1 विजयराम पिता भंवरलाल गुर्जर निवासी सलावटियां तहसील बिजौलियां, PW-2 भंवरलाल पिता काना मीणा निवासी सलावटिया, एवं PW-3 मांगूगर पिता हीरागर गोस्वामी निवासी सलावटिया के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

PW-1 विजयराम गुर्जर ने अपने बयान में वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावजो का जिक्र किया वर्तमान में मुझे आवंटित हुई जमीन मेरे ही कब्जे में निरन्तर इस जमीन पर खेती कर रहा हूँ। मैने जमीन की दीवार लगा रखी है। इस जमीन में मैने कुआ नही खोद रखा हैं लेकिन दूसरो के कुए से पानी लाता हूं। काश्त कर रहा हूं। वर्तमान में जमीन चरागाह में दर्ज कर दी गई जो गलत हैं। जमीन पुनः खाते में दर्ज कराना चाहता हूँ। मुझे बेदखल नही किया जावें।

जिरह – यह कहना गलत हैं कि वादग्रस्त भूमि पर मेरा कब्जा न हो पर मुझे पता नही कि मेरी जमीन चरागाह में दर्ज की गई हैं। जमीन चरागाह हैं जिस पर लगातार कब्जा हैं। जमीन मेरे नाम चाहता है।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादीगण में रखा गया।

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 मोहनलाल पिता घीसालाल जाति बूनकर तत्कालीन पटवारी पटवार... निवासी जवाहर सागर बांध हाल सलावटियां, मदनलाल पिता कन्हैयालाल शर्मा पेशा ऑफिस... तहसील बिजौलियां निवासी जोजवा, जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली है।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 मोहनलाल ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम सलावटियां की ... संवत 2022 से 2025 साथ लाया हूं। जमाबन्दी मे खाता संख्या 1 पर खसरा नम्बर 218 रकबा 95 ... बिस्वा बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकॉर्ड हैं। आंवटन का दाखिला अंकित नहीं है। इसके बाद की ... में चरागाह आ0नं0 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा चरागाह दर्ज रेकॉर्ड है। किन्तु उक्त ... 218 का ही बड़ा रकबा जैसा कि उक्त जमाबन्दी में 95 बीघा 3 बिस्वा नकल अंकित है। इसके ... ख.नं. 218 के नये नम्बर बने हैं वो भी चरागाह अंकित हुए। इस बड़े नम्बर में उसका आवंटी कहां ... था तथा आवंटन हुआ इसकी जानकारी वर्तमान नक्शे से यह तो सेटलमेन्ट के तरमीमी नक्शे से हो ... है। पत्रावली में संलग्न नक्शे में आवंटित नम्बर को दिखया जाना अस्पष्ट हैं। मामले में तरमीम शीट ... है। तरमीम शीट से स्थिति स्पष्ट होगी।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली हैं लिखित बहस में अंकित ... कि वादी को वादग्रस्त जायदाद खसरा नं0 1283/516 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार ... घोषित करवाना चाहा हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी एवं ... पर मनन किया। साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। राजस्व रेकॉर्ड में भूमि ... चरागाह दर्ज हैं। वादी के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से प्रस्तुत वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार ... जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :-

—:: आदेश ::—

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार** किया जाकर ... दिये जाते हैं कि मौजा सलावटिया स्थित आराजी खसरा नंबर 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वां ... सम्बन्ध में प्रस्तुत वादी के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री ... जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 13 / 04 /2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 26/2025 (बिजौलियां) — दायर तारीख 24.04.2025

प्रकरण संख्या (334/2010) (माण्डलगढ़) — दायर तारीख (03.06.2010)

अनवान

1. विजयराम पुत्र भंवरलाल जाति गुजर उम्र 40 साल व्यवसाय खेती निवासी सलावटीया तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... डिक्रीदार

बनाम

1. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा।
2. ग्राम पंचायत सलावटीया मार्फत सरपंच ग्राम पंचायत सलावटीया पंचायत समिति माण्डलगढ/बिजौलियां तहसील बिजोलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 13/04/2026

डिक्री दिनांक : 13/04/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ व पैरोकार सरकार / ग्राम पंचायत सलावटियां को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम सलावटिया स्थित आराजी खसरा नंबर 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वां के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादी के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नीज ......Nil...... मुबलिग ...... Nil ...... बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ...... Nil ...... फीसदी सालाना आज की से तारीख वसूलयाबी तक ...... Nil ...... का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 04 वर्ष 2026 को जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

	रूपया	पैसे
	—	
अरजीदया	—	
वकीलात नामा	—	
वजह सबूत	—	
ताना वकील ( )	—	
गवाह	—	
कमीश्नर	—	
इजराय हुक्मनामा	—	
फरिक		
मीजान		

	रूपया	पैसे
मुदायला	—	
स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक		
मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :–11/2025

दायर तारीख 29/01//2025

अनवान

भैरूलाल भील पुत्र नन्दलाल भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गुर्जर खेडा बेमाली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।

बनाम

—— प्रार्थी

1. यशोदा पत्नि हरिप्रसाद जाति मीणा निवासी जावदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
2. नाबालिग नाही पुत्री हरिप्रसाद जरिये संरक्षक माता यशोदा पत्नि हरिप्रसाद जाति मीणा निवासी जावदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
3. नाबालिग हृदयांश पुत्र हरिप्रसाद जरिये संरक्षक माता यशोदा पत्नि हरिप्रसाद जाति मीणा निवासी जावदा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
4. स्टेटधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

—— विपक्षीगण

उपस्थित : 1. श्री ओमप्रकाश धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – अधिवक्ता विपक्षीगण सं0 1 से 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 09/04/2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता ओमप्रकाश धाकड़ ने प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि मौजा जावदा पटवार हल्का जावदा स्थित आराजी नं० 100 रकबा 0.2185 हैक्टेयर व आराजी नं० 101 रकबा 0.4937 हैक्टेयर कुल 2 रकबा 0.7122 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर आने जाने के लिए 15 फीट चौडा रास्ता विपक्षीगण की खातेदारी कृषि भूमि आराजी नं0 99 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि में से होकर प्रार्थी अपनी आराजी पर आते जाते थे, प्रार्थी एवं पूर्व खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपनी आराजी पर काश्त किया करते थे। लेकिन विपक्षीगण की उक्त आराजी संख्या 99 में उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपनी आराजी पर काश्त करने नहीं जाने दे रहे है। उक्त रास्ते के आलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु ट्रेक्टर बैलगाडी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही है। यह कि प्रार्थी विपक्षीगण की उक्त आराजी संख्या 99 की पश्चिम दक्षिण दिशा मे A बिन्दु से B बिन्दु के बीच स्थित 15 फीट चौडे रास्ते को रिकार्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी दर के आधार पर मुआवजा भुगतान को तैयार है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

अतः उक्त रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखो में दर्ज अभिलेख ...या जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत 2075-2078 ग्राम ...द्दा एवं खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी (प्रतिलिपि), प्रस्तावित रास्ते का मेप उक्त आराजीयात का पेश किया ...संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 29.01.2025 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी ...जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिस शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड ने ...अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री मुकेश कुमार धाकड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 दिवानी प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 दिवानी प्रक्रिया संहिता में अंकित किया कि उक्त अनवानी प्रकरण मे विपक्षीगण की दिनांक 17/03/2025 को न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेशी नियत थी। उक्त दिनांक को विपक्षीगण के परिवार में मौत हो जाने के कारण न्यायालय मे उपस्थित नही हो सके एव प्रार्थीगणो द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अन्य आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण अदालत श्रीमान मे हाजिर नही हो सके। उसके बाद प्रार्थीगण ने दिनांक 25/03/2025 न्यायालय में उपस्थित हो उक्त प्रकरण के सम्बंध में जानकारी की तब ज्ञात हुआ की प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके है। हम प्राथीगण में गमी के कारण न्यायालय मे हाजिर नही हो पाये। अनुपस्थिती का कारण वाजिब है। प्रार्थीगण काश्तकार हैं एंव उक्त प्रकरण कृषि भूमि से सम्बंधित हैं जिसका निस्तारण मामले के गुणावगुण पर विचार किया जाकर किया जाना न्यायोचित हैं। उक्त प्रकरण का निस्तारण प्रार्थीगणो विपक्षीगण को सुनवाई का एंव उक्त प्रकरण मे अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये बिना प्रकरण का निस्तारण हो जाने से प्रार्थीगण विपक्षीगण के हितो पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस कारण उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगणो विपक्षीगण के विरुद्ध पारित एक तरफा कार्यवाही के आदेश को अपास्त कर विपक्षीगण प्रार्थीगणो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। एक तरफा कार्यवाही के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक से प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि के पेश है। अतः प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही को अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करवाये।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री मुकेश कुमार धाकड़ ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता विपक्षीगण श्री मुकेश कुमार धाकड़ ने जवाब में अंकित किया कि आवेदन पत्र की चरण की कलम संख्या 1 से लगायत 4 मे वर्णित तथ्य जवाब की मोहताज नही है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 मे जिन विपक्षीगण की आराजीयात से आने जाने का जो रास्ता मांगा गया हैं वह गलत हैं एवं प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 5 भी अस्वीकार होकर जिन आराजी नम्बरान को अंकित कर रास्ता मांगा गया हैं वह सरासर गलत होकर मनगढ़त है। आवेदपत्र की चरण संख्या 6 मे वर्णित तथ्य गलत मनगढंत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 100 एवं 101 में आने जाने के लिये 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थना-पत्र मे चाहा जाकर वर्णित किया गया हैं उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे आने जानें के लिये कभी नही किया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि कुछ माह पूर्व क्रय की गई हैं जिससे स्पष्ट हैं कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

आने जाने के लिये उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग पूर्व मे कभी नही किया था एंव प्रार्थी से पूर्व के खातेदारो के द्वारा भी उक्त आराजी पर आने जाने के लिये चाहे गये रास्ते का उपयोग उपभोग कभी नही किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी संख्या 100 एंव 101 मे आने जाने का रास्ता विपक्षीगण की आराजीयात मे होकर कभी नही रहा है। प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर आने जाने का रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 91 से आ0न0 106 के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में होता हुआ आराजी नम्बर 105 के पश्चिमी भुजा के सहारे सहारे जाकर आराजी नम्बर 101 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता वर्तमान मे चालु होकर फाटक लगी हुई हैं एवं रास्ते के आलामात मौजूद है। प्रार्थी से पूर्व के एवं प्रार्थी खातेदार इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपनी आराजी में आया जाया करते थ एवं करते है। आराजी नम्बर 106 के खातेदार प्रभावशाली धनाढ्य व्यक्ति होने से प्रार्थी को अपनी आराजी मे निकलने नहीं देना चाहते है एवं एक ही समाज के होकर षडयंत्रपूर्वक अन्यत्र विपक्षीगण की आराजी में से रास्ता लेना चाहते है इस कारण प्रार्थी ने विपक्षीगण की आराजी मे से रास्ता मांगा है। जबकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद हैं जो आराजी नम्बर 91 से आ0न0 106 के दक्षिणी पश्चिमी दिशा मे होता हुआ आराजी नम्बर 105 के पश्चिमी भुजा के सहारे सहारे जाकर आराजी नम्बर 101 में प्रवेश करता है। जानि प्रार्थी के पास अपनी आराजी में आने जाने के लिये वैकल्पिक एवं चालु रास्ता मौजूद हैं इस कारण प्रार्थी को नया रास्ता अन्य जगह से मांगे जाने का कोई अधिकार नही हैं। यह तथ्य सरासर गलत हैं कि प्राथीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हो। नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता मनगढ़ंत एवं काल्पनिक है क्योंकि प्रार्थी ने नजरी नक्शे में दर्शित A बिन्दु से B बिन्दु के बीच रास्ता स्थित होना अंकित किया हैं जो कि सरासर गलत एंव मनगंढ़त है क्योंकि प्रार्थना–पत्र मे दर्शित A बिन्दु से B बिन्दु के बीच आराजी नम्बर 99 की पश्चिम दक्षिण दिशा मे विपक्षीगण का कुआं खुदा हुआ हैं जिससे स्पष्ट रुप से प्रमाणित हैं कि प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी विपक्षीगण की आराजी संख्या 99 मे रास्ता दर्ज रेकार्ड कराने का अधिकारी नही होकर आवेदन–पत्र खारीज योग्य है। विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए वर्षों पुराना चालू रास्ता अन्य खातेदारान की आराजी नम्बर 91 से आ0न0 106 के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में होता हुआ आराजी नम्बर 105 के पश्चिमी भुजा के सहारे सहारे जाकर आराजी नम्बर 101 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता वर्तमान मे चालु होकर फाटक लगी हुई हैं एवं रास्ते के आलामात मौजूद है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत जब कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद नहीं हो तो ही आत्यांतिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये रास्ता दिया जा सकता हैं, सिर्फ सुविधा के लिये नया रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान विधि मे नही हैं, उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से नया मार्ग नही दिया जा सकता है। जबकि प्रार्थी को यह आवेदन वर्षों पूराने जो कि आराजी नम्बर 91 से आ0न0 106 के दक्षिणी पश्चिमी दिशा मे होता हुआ आराजी नम्बर 105 के पश्चिमी भुजा के सहारे सहारे जाकर आराजी नम्बर 101 में प्रवेश करता है उक्त उपलब्ध रास्ते को रेकार्ड मे दर्ज करवाने हेतु पेश करना चाहिये था। प्रार्थी के पास उक्त वर्णित वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इस कारण यह आवेदनपत्र चलने योग्य नही है। इस वैकल्पिक रास्ते का नजरी नक्शा लाल रंग से दर्शाते हुये पेश है। विपक्षी संख्या 1 विधवा महिला होकर विपक्षी संख्या 2 एवं 3 नाबालिग 2 छोटे छोट बच्चे हैं जिनके भरण पोषण एवं आजीविका का एकमात्र जरिया उक्त खातेदारी कृषि आराजी ही हैं जिसमे से प्रार्थी की सुविधा के लिये रास्ता दिया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी का आवेदन पत्र आत्यंतिक आवश्यकता की पूर्ति नही कर केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए रास्ता चाहा जाकर पेश किया गया है जो वैधानिक प्रावधाननुसार चलने योग्य नही है। विशेषकर जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं तो नया मार्ग नही दिया जा सकता है। इन आधारो पर प्रार्थी का आवेदन खारीज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोट/तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1240 दिनांक 25.07.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि भू0अ0नि0 बिजौलियां खुर्द एवं पटवारी हल्का जावदा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जावदा में आ0नं0 100 रकबा 0. .165 है0 व आ0नं0 101 रकबा 0.4937 है0 कुल किता 2 रकबा 0.7122 है0 भूमि पर आने–जाने के लिए रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। प्रार्थी उक्त आराजीयात् में आने जाने के लिए ग्राम जावदा की आ.नं. 99 रकबा 0.3399 है0 भूमि में 15 फीट चौडा रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये 15 फीट रास्ते को रेकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्तावित रास्ता सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। विवरण निम्नानुसार हैं :–

आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)	शेष रकबा
99	0.3399	0.0320 है0	0.3079 है0
कुल		0.0320 है0	

मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 01 के ससुर शंकरलाल पिता कजोड मीणा ने बताया कि प्रार्थी आ.नं. 102, 105 व 107 में होकर आता–जाता था। अप्रार्थी के ससुर शंकरलाल द्वारा बताये अनुसार (प्रस्तावित) सलंग्न नक्शा ट्रेस में बताया गया है। विवरण निम्नानुसार हैं :–

आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)	शेष रकबा
102	0.3561 है0	0.0021 है0	0.3540 है0
105	0.1295 है0	0.0430 है0	0.0865 है0
107	0.1214 है0	0.0279 है0	0.0935 है0
कुल		**0.0730 है0**	

प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्यूनतम दूरी का हैं इससे कम दूरी का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते खनिज संभावित/स्वीकृत खनन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है। एन.एच. एस.एच. तथा आबादी से 01 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है। अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। उक्त प्रस्तावित दोनो रास्ते पूर्व में दर्ज बिलानाम गेमु0 रास्ता आ0नं0 91 से मिलते है।

ग्राम जावदा की रास्ते हेतु प्रार्थी द्वारा चाहे गये प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 99 रकबा 0.3399 है0 मे से रकबा 0.0320 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 587200/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 18791/– रू0 का दुगुना से 37582/– रूपये व अप्रार्थी के ससुर शंकरलाल मीणा द्वारा बताये अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित आ.नं. 102, 105 व 107 कुल किता 3 रकबा मे से 0.0730 है0 भूमि डी.एल.सी. दर 587200/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 42866/– रू0 का दुगुना से 85732/– रू0 की राशि बनती है।

उक्त रिपोर्ट पर अधिवक्ता विपक्षी द्वारा आपत्ति जाहिर करने पर इस न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2025/2004 दिनांक 24.10.2025 से पुनः रिपोर्ट ली गयी। उक्त संबंध में तहसीलदार बिजौलियां द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/1753 दिनांक 27.10.2025 से प्रस्तुत रिपोर्ट संलग्न हैं उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि भू०अ०नि० बिजौलियां खुर्द एवं पटवारी हल्का जावदा द्वारा मौका पर्चा अनुसार ग्राम जावदा में उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगणो को पूर्व में मोबाइल द्वारा सूचित कर बशामलात वादी के जानकारी व अप्रार्थी सं. 1 के ससुर शंकरलाल पिता कजोड मीणा निवासी जावदा के साथ निरीक्षण किया गया। अप्रार्थी सं. 01 के ससुर शंकरलाल मीणा से मौके पर चालू वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध में जानकारी लेने पर बताया कि प्रार्थी आ.नं. 100 व 101 में जाने के लिए वर्तमान में आ0नं0 106 के दक्षिणी–पूर्वी कोने में स्थित फाटक से होते हुए आ०नं० 106 की दक्षिणी व पश्चिमी मेड के सहारे आ.नं. 105 की पश्चिमी मेड के सहारे होते हुए आ.नं. 102 की दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रवेश कर आ.न. 101 में पहुंचता है। अप्रार्थी सं. 1 के ससुर ने बताया कि प्रार्थी को रास्ता 106 की पश्चिमी मेड के सहारे आ.नं. 105 व 102 में होकर दिया जावें।

लगातार पेज संख्या 05 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा, नकल जमाबन्दी मय
पेश किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त दिनांक 25.07.2025 की
निरीक्षण रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के प्रस्ताव को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने
प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं बहस उभयपक्षकारान सुनने एवं
तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थी
के पक्ष में स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम जावदा पटवार
हल्का जावदा स्थित आराजी नं० 100 रकबा 0.2185 हैक्टेयर व आराजी नं० 101 रकबा 0.4937
हैक्टेयर कुल 2 रकबा 0.7122 हैक्टेयर भूमि में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से
आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षीगण की ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा स्थित आराजी नं0 99
रकबा 0.3399 है0 मे से रकबा 0.0320 है0 भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता (रास्ता
पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा स्थित आराजी नं0 99 रकबा 0.3399 है0 मे से रकबा
0.0320 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 587200/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 18791/– रूपये
का दुगुना से 37582/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी
द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया
जाकर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 09 / 04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर
लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां